

विश्वभारती

अधिसूचना

अधोहस्ताक्षरी को कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 08/09/2025 को हुई विश्वभारती की कर्म समिति (कार्यकारी परिषद) की बैठक में कार्यसूची मद - 29 के संकल्प के अनुसरण में, 60 वर्ष की आयु से अधिक वाले सूचीबद्ध आकस्मिक श्रमिकों (ई.सी.डब्ल्यू) और अस्थायी आकस्मिक श्रमिकों (सीएलटीएस) को पुनः नियुक्ति की अनुमति नहीं दी जाएगी और 01.01.2026 से इसे बंद कर दिया जायेगा।

सं. प्रशा/जी/एन-5/
दिनांक: 19.09.2025

हस्ता/-
कुलसचिव
विश्वभारती

प्रतिलिपि :

1. विश्वविद्यालय के सभी निदेशक/भवनों के प्रिंसिपल/विभाग
2. सभी अकादमिक विभाग एवं प्रशासनिक कार्यालय/अनुभाग के प्रधान
3. वित्त अधिकारी, विश्वभारती
4. संयुक्त कुलसचिव (लेखा), विश्वभारती
5. कुलानुशासक, विश्वभारती
6. छात्र कल्याण के अध्यक्ष, विश्वभारती
7. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पियर्सन मेमोरियल हॉस्पिटल, विश्वभारती
8. संयुक्त कुलसचिव एवं कुलपति के गोपनीय सचिव, विश्वभारती
9. आंतरिक लेखापरीक्षक अधिकारी, विश्वभारती
10. प्रोफेसर प्रभारी, सुरक्षा, विश्वभारती
11. प्रोफेसर प्रभारी, अभियांत्रिकी अनुभाग, विश्वभारती
12. प्रोफेसर प्रभारी, राजभाषा प्रकोष्ठ, विश्वभारती – हिंदी में अनुवाद कर विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करें।
13. पुस्तकाध्यक्ष, केंद्रीय पुस्तकालय, विश्वभारती
14. प्रभारी, बागवानी अनुभाग, विश्वभारती
15. प्रभारी, अतिथि गृह, विश्वभारती
16. प्रभारी, परिवहन प्रकोष्ठ, विश्वभारती
17. विश्वभारती के सभी संयुक्त कुलसचिव/उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव/अनुभाग अधिकारी
18. कुलसचिव के निजी सहायक, विश्वभारती
19. विश्वविद्यालय वेबमास्टर - विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।
20. फाइल